



# बुलन्दशहर पुलिस



## OPERATION CONVICTION

जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले आरोपियो को आजीवन कारावास।

दिनांक- 30.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना डिबाई** पर **जान से मारने की नियत से गोली मारने के** सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-210/2016 धारा 452,307/34,504,302/34 भादवि के अभियुक्तों **1. कन्हैया पुत्र श्रीपाल 2. सुरेन्द्र पुत्र श्रीपाल निवासीगण दानगढ़ थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर** को मा०न्याया० कोर्ट एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा **आजीवन कारावास व 23-23 हजार रूपये** से दण्डित किया गया ।



श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत  
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह  
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० अमित कुमार  
(पैरोकार)



हे०का० विशाल कुमार  
(कोर्ट मोहरीर)